बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक– /2018

I/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/01206

राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र शिव नारायण अग्रवाल, निवासी–राजा अग्रवाल मैरिज हॉल के सामने, बड़ापुल दमोह, तहसील व जिला दमोह(म.प्र.)

———आवेदक

बनाम

1. अजीत उज्जैनकर पुत्र स्व. अरूण नारायण राव उज्जैनकर, निवासी–सिविल वार्ड नंबर–1, मोहन टॉकीज के पास, दमोह, तहसील व जिला दमोह (म.प्र.)
2. धरम पुत्र गोरेलाल लोधी,
3. भुवानी पुत्र गोरेलाल लोधी,
4. अर्जुन पुत्र गोरेलाल लोधी, निवासीगण–ग्राम सिमरी राजाराम, तहसील व जिला दमोह(म.प्र.)

———अनावेदकगण

आज दि. 16-02-2018 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-02-2018 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 16-02-18

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 16-02-2018

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक–45/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 08/02/2018 के विरूद्ध म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, ग्राम महुआखेड़ा तहसील व जिला दमोह में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–88/1 रकवा 2.00 के भूमि स्वामी नारायण राव थे।
2. यह कि, उक्त भूमि को रामचरण पुत्र बिहारी एवं गोरेलाल पुत्र कम्मोद लोधी द्वारा सन् 1945 में भूमिस्वामी नारायण राव से विक्रयपत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तदनुसार राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो गया। (खसरा की छायाप्रति संलग्न है)

Hmt. (Rd-=1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/1206 राजेन्द्र विरूद्ध अजीत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से सुनील सिंह जादोन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दमोह के प्रकरण क्रमांक 45/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 08-02-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता	

1.1.2019

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 01.01.2019
सदस्य